

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/
प्रेषक: 50/सॉ

राँची, दिनांक-23.09.19

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत हरणा वीयर योजना (दक्षिण) एवं हरना वीयर योजना (दक्षिण) के कुथनीपाथर वितरणी के यांत्रिक कार्यों हेतु रु० 90.977 लाख (रुपये नब्बे लाख संतानवे हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत हरणा वीयर योजना (दक्षिण) एवं हरना वीयर योजना (दक्षिण) के कुथनीपाथर वितरणी के यांत्रिक कार्यों हेतु रु० 90.977 लाख (रुपये नब्बे लाख संतानवे हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अधीन निम्न कार्य प्रस्तावित है :-
 - (A) हरणा वीयर योजना (दक्षिण) के मुख्य शीर्ष पर H/R, C/R gate एवं Falling shutter का जिर्णोद्धार कार्य (रु० 86.697 लाख)
 - (i) हरणा वीयर योजना (दक्षिण) के मुख्य शीर्ष पर लगे गेटों का अधिष्ठापन झारखंड गठन के पूर्व हुआ है। उक्त स्थल पर अंतिम बार मरम्मत वित्तीय वर्ष 2012-13 में हुआ था, जिसका अंतिम विपत्र पारित है तथा एकरारनामा बंद है।
 - (ii) योजना के मुख्य शीर्ष पर तीन अदद नया C/R Gate, चार अदद नया H/R Gate एवं 16 अदद Falling shutter का जिर्णोद्धार कार्य तथा उक्त गेटों में Embedding part, S.S का Wheel track, Side Seal, Bottom Seal, Painting का कार्य।
 - (iii) Wheel type C/R gate में लगे Winch crab machine में दो brake shoe assembly, wire rope, U-clamp, handle इत्यादि लगाने का कार्य एवं एक नया winch crab machine लगाने का प्रावधान।
 - (iv) चारो H/R गेटों में hoisting system को बदल कर worm & worm gear system लगाने का कार्य एवं C/R गेटों में नया Platform एवं railing के साथ iron ladder का निर्माण कार्य।

उक्त प्रस्तावित कार्यों का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है:-

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1	Providing fabricating, fitting & fixing of Embedding Component of C/R gate	1377054.00
2	Providing fabricating & fitting of C/R Gates.	1575327.00
3	Providing supplying & installation of hoisting arrangement of C/R gate & H/R Gates (South & North)	1605708.00

Sl.	Component	Amount (Rs.)
4	Others.	3030904.82
	Total	7588993.82
	Add 12% G.S.T.	910679.25
	Total	8499673.07
	Add 1% Labour cess	84996.73
	Add 1% Contingency	84996.73
	Grand Total	8669666.53
	Say	Rs. 8669700.00

(B) हरणा वीयर योजना (दक्षिण) के कुथनी पाथर वितरणी का प्रस्तावित कार्य (4.28 लाख)।

योजना के कुथनी पाथर वितरणी में 1 अदद नया H/R गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य तथा उक्त गेट में embedding part, Side seal, Bottom seal एवं नया उत्तोलन प्रणाली कार्य, जिसका अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है:-

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1	Providing fabricating, fitting & Fixing of HR gate	115794.00
2	Providing fabricating, supplying, fitting & Fixing of Hoisting arrangement of carbon steel spindle of H/R gate	55071.00
3	Others.	203802.34
	Total	374667.34
	Add 12% G.S.T.	44960.08
	Total	419627.42
	Add 1% Labour cess	4196.27
	Add 1% Contingency	4196.27
	Grand Total	428019.96
	Say	Rs. 4,28,100.00

3. उपर्युक्त निर्माण का कार्य का बजट शीर्ष :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय -उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में रु० 1494.00 लाख बजट उपबंध है।

- इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर होंगे।
- राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.08.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- इस कार्य का समावेश वर्ष 2019-20 के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
- झारखंड कोषागार संहिता नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
- राशि की निकासी देवघर कोषागार से की जायेगी।
- किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- इस कार्य को वर्ष 2019-20 में प्रारंभ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरांत अगले तीन (3) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
13. निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112 दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
15. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
16. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारंभ कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखंड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव,
राँची, दिनांक- 23.09.19

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/50 स्वी

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखंड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

23.9.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव,

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/50 स्वी

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

23.9.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव,

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/50 स्वी

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

23.9.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव,

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/50 रसो राँची, दिनांक-23.09.19
प्रतिलिपि: आयुक्त संचाल परगना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

23.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-7/वि0शा0/मु0यॉ0-02-25/2019 46/19-20/50 रसो राँची, दिनांक-23.09.19
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।

23.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,